न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—121/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/121)

1. बीरमलाल पुत्र श्री पांचूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माकडवाली, तहसील जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री माना
2. कंवरा पुत्र श्री रूपा
3. केसा पुत्र श्री अमरा
4. छोटी देवी धर्मपत्नी मंगला
5. पप्पू पुत्र श्री अमरा
6. भैरू पुत्र श्री रूपा
7. मैना देवी पुत्री श्री रूपा
8. मानी पुत्री श्री रूपा
9. राधा देवी पुत्री श्री मंगला नाबालिग जरिए संरक्षक पिता श्री मंगला
10. शांति पुत्री श्री अमरा
11. सुआ पुत्र श्री अमरा
12. सायर पुत्र श्री अमरा
    समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम होकरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 04.08.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 10/2020

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद ईकबाल ईदरीस मौहम्मद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सलमान खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट 1
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 12 अनुपस्थित

26/12/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः–26.10.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2020 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर में समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम होकरा, तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 984, 985, 986, 987, 988, 989, 992/3583 कुल किता 7 कुल रकबा 0.55 है0 है। उपरोक्त आराजीयात के बाबत वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि का आज दिवस तक बाय मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा नहीं हुआ है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भी प्रस्तुत किया गया जिस पर एक पक्षीय रूप से सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 4.8.2020 पर सुनवाई किए जाने का निवेदन किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई सुनवाई नहीं किए जाने पर अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2020 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलांट जो कि अपीलाधीन आराजीयात का सदभाविक केता है, जिसके द्वारा अपीलाधीन आराजीयात जरिए बैनामा दिनांक 19.8.2008 को कय की थी और उपरोक्त कय दिनांक के पश्चात से ही अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है इस तथ्य की भलीभांति जानकारी रेस्पोडेंट को है जिसके बावजूद रेस्पोडेंट ने अपीलांट को वाद पत्र में पक्षकार मुर्तिब किए बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.8.2020 पारित करवा ली। जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार मुर्तिब हुआ। जिसके बावजूद अपीलांट की कोई सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में नहीं होने के कारण अपीलांट के पास आदेश दिनांक 4.8.2020 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने से वर्तमान अपील न्यायालय के समक्ष सदभाविक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष दिनांक 17.3.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया था कि ग्राम होकरा में

26.10.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्थित आराजी खसरा नम्बर 573 व 574 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 3/4 हिस्सा नारायण, मंगला, पुत्रगण पीथा से खरीद किया गया था जिसका उपरोक्त बैनामा उपपंजीयक कार्यालय अजमेर में दिनांक 19.8.2008 को पंजीबद्ध हुआ। आराजी खसरा नम्बर 573 व 574 के हाल खसरा नम्बर 984, 985, 986, 987, 988, 989, व 912/ 3883 बने है तथा उपरोक्त आराजीयात का बैचान मंगला के द्वारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया गया था परंतु मात्र राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं हो सके, को रोकने बाबत जालसाजीपूर्ण तरीके से वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश दिनांक 4.8.2020 पारित करवा लिया गया। जिसका सीधा प्रभाव अपीलांट पर पडता है। जिससे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.8.2020 काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जब भी स्थगन प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अंतिम आदेश पारित किया जाता है तो प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विश्लेषण विस्तृत रूप से किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त तीनों ही बिंदुओं पर कोई विस्तृत आदेश पारित नहीं किया गया है। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत स्पष्ठ प्रावधान है कि जब भी कोई स्थगन आदेश जारी किया जाएगा तो उसका अंतिम निर्णय दिनांक 30 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक है परंतु वर्तमान प्रकरण में तीन वर्ष बीत जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई कार्यवाही कानूनी परिप्रेक्ष्य में नहीं की जा रही है। जिससे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.8.2020 काबिल खारिज योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2020 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन झूठे है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने अपील जवाब/बहस अपील पर कथन किया कि वर्तमान रेस्पोड्रेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात की भूमि ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजीयात जिसका विस्तृत वर्णन प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित जमाबंदी संवत 2072-2075 में विस्तार से किया गया है, जिसमें प्रार्थी के खाता संख्या 186 हिस्से की रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जो कि जमाबंदी से सिद्ध है, इसी कम में खाता संख्या 186 में अप्रार्थी संख्या 1 का 7/384 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/80 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 का 7/384 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 6 का 3/28 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 का 1/80 हिस्सा

26.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

व अप्रार्थी संख्या 10 व 11 का 1/80–1/80 हिस्सा व प्रार्थी का 1/16 हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र वास्ते बंटवारा आज्ञप्ति हेतु पेश किया गया था। वादग्रस्त आराजीयात का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजीयात के सहखातेदार है। जिनके मध्य राजस्व रिकार्ड में बंटवारा किया जाना उचित है। जिसके लिए वाद वास्ते बंटवारा आज्ञप्ति बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अलग–अलग अपने हक व हिस्से में कृषि कर रहे है। प्रार्थी (वर्तमान रेस्पोडेंट) अपने खातेदारी काश्त भूमि पर काश्त हेतु दिनांक 25.7.2020 को गया जहां पर अप्रार्थीगण संख्या 4 पप्पू पुत्र अमरा अपने हकबंदी को लेकर झगडा करने पर उतारू हो गए मैने उनसे उक्त भूमि विभाजन बाबत कहा तो ये लोग नहीं माने तब से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरंतर जारी है। विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी मदाखलत उत्पन्न करने का नाजायज प्रयास अन्यत्र रहन बेचान मुंतकिल करने पर अप्रार्थीगण सख्त आमादा है यदि इसमें अप्रार्थीगण सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसमें अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र को अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट) इस आशय से जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी पेश दिनांक 26.8.2020 तक मौजा होकरा पटवार हल्का होकरा तहसील पुष्कर में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या 186 नया पुराना 984, 985, 986, 987, 988, 989, 992/3583 कुल किता 7 कुल रकबा 0.5500 है0 में अप्रार्थीगण मौके एव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 26.8.2020 तक बनाए रखे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी के अनुसार दिनांक 19.8.2008 को उसके द्वारा अपीलाधीन आराजीयात कय की गई थी और व उस पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेंट को होने के बावजूद उसने अपीलांट को वादपत्र में पक्षकार के रूप में नहीं जोडा है तथा अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.8.2020 पारित करवा ली है। जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर उसके द्वारा आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी प्रस्तुत कर पक्षकार के रूप में अपना नाम जुडवाया इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होने पर अब अपीलांट के पास अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2020 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में चाराजोही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। अपील को अंदर मियाद शामिल किया जाए।

26/10/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. न्यायायल प्रोसिंडिग प्रकरण संख्या 10/2020 लक्ष्मण सिंह बनाम कंवरा व अन्य अंतर्गत धारा 212 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया है कि विवादित आराजीयात खाता नम्बर 186 नया 186 पुराना खसरा नुम्बर 984, 985, 986, 987, 989, 992/3583 कुल किता 7 किुल रकबा 0.5500 है0 में अप्रार्थीगण मौके की एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 26.8.2020 या अप्रार्थीगणों द्वारा युक्तियुक्त जवाब पेश करने (दोनों में से जो भी पहले हो) तक बनाए रखें।

10. दिनांक 17.3.2021 को अमित कुमार गौतम के द्वारा वर्तमान अपीलांट बीरमलाल को पक्षकार बनाए जाने हेतु वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मय धारा 151 प्रस्तुत किया दिनांक 7.3.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तथा संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु निर्देश दिए गए। दिनांक 1.2.2023 को वाद पत्र कार्यवाही में संशोधित शीर्षक पेश किया है।

11. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 1.2.2023 को संशोधित शीर्षक पेश किया है। जिसमें अगली तिथि जवाब हेतु दिनांक 1.3.2023 तय की गई थी। बीरमलाल को प्रतिवादी संख्या 13 के रूप में संयोजित किया गया था। दिनांक 1.3.2023 को अगली पेशी दिनांक 5.4.2023 पडी है। इससे पूर्व दिनांक 4.4.2023 को ही अपीलांट बीरमलाल द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई है जबकि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील दायरी तक जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि स्वयं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित शीर्षक पेश करने में बहुत समय लगाया तथा उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 5.4.2023 तक अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और उससे पूर्व ही उसके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई है। न्यायालय का भी यही मानना है कि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अतः अपील को इस रोशनी में अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

12. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। अपीलांट अभिभाषक का कहना है कि उनके पक्षकार के द्वारा दिनांक 19.8.2008 को भूमि कय की थी उनका पक्षकार स्वयं आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के माध्यम से पक्षकार बना था। पूर्व में इनके पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश था अब न्यायालय हाजा द्वारा हमारे पक्ष में अंतरिम स्थगन दिया है। जिसके खिलाफ इनके द्वारा राजस्व मण्डल में रिविजन प्रस्तुत किया है जो स्वयं इनके द्वारा नोटप्रेस करवा लिया है, इसके पश्चात यह हाई कोर्ट गए है वहां भी इन्हें राहत नहीं मिली है। समान भूमि बाबत विवाद एसीएम कोर्ट में 2007 में दायर किया गया था जो दिनांक 28.08.2012 को खारिज किया गया इस आदेश की इनके द्वारा कोई अपील नहीं की गई है, अब अपील या दावा नहीं चल सकता था। बहस में वकील रेस्पोडेंट ने कहा कि दिनांक 4.8.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हमारे पक्ष में प्रदत्त की गई थी दिनांक 7.3.2022 को इनका प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया था मगर अबतक इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। हमारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश इनके द्वारा स्टे करवाया गया है। दिनांक 13.6.1972 में हमने पूरी भूमि खरीदी थी। मगर 1/4 हिस्से का ही नामांतरकरण खुला इनकी रजिस्टी केंसिलेशन हेतु सिविल कोर्ट में हमारी कार्यवाही जारी है। जमाबंदी में दिनांक 20.9.2023 को बैचान का नामांतरकरण खोल दिया गया है। यथास्थिति रखी जाए।

2/10/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

13. न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.4.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया दिनांक 5.9.2023 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को स्वीकार कर उस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को पत्रावली पर लिया गया। जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के समक्ष विचाराधीन एसबी सिविल प्रथम अपील संख्या 396/2018 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रस्तुत निगरानी 57/2023 जिला अजमेर शामिल है।

14. वकील रेस्पोडेंट की ओर से आरबीजे (23) 2023 पेज 360(जब अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध अपील पेंडिग हो तो यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना चाहिए) तथा आरबीजे (22) 2015 पेज 719(एड अंतरिम आदेश जो कि अगली तिथि तक प्रभावी होते हैं के मामलों में अपील मेंटेनेबल नहीं होती है), के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए है।

15. नकल वर्किंग जमाबंदी के अनुसार दिनांक 30.12.1985 के द्वारा विक्रेता पीथा पुत्र रोडा के बजाए केता नारा, रूपा, पिसरान लाला माना, अमरा पिसरान मोती 1/4 के नाम खसरा नम्बर 573, 14 बिस्वा, 574 2 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी का इंद्राज एएसओ द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलांट का कहना है कि उसके द्वारा 2008 में भूमि क्रय की गई है, जबकि रेस्पोडेंट लक्ष्मण का मानना है कि दिनांक 13.6.1972 को उनके पक्ष द्वारा पूरी भूमि खरीदी गई थी। मगर नामांतरकरण 1/4 हिस्से का ही खोला गया था। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में 212 के प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय दिनांक 23.8.2023 तक नहीं किया गया। तथा पत्रावली तलवी एवं जवाब में चल रही है। जहां अभी तक अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अर्थात् 212 की मूल पत्रावली का निर्णय अभी तक अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया है। अपने स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा यह बताया गया है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 4.8.2020 के बाद किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है। अपीलांट एक सदभाविक केता है तथा उक्त अंतरिम स्थगन आदेश की आड में रेस्पोडेंट उसे बेदखल करने पर आमादा है, तथा 212 के तीनों बिंदु अपने पक्ष में बताए हैं। अंत में दिनांक 4.8.2020 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किए जाने का उनके द्वारा निवेदन किया गया।

16. जबकि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.4.2023 को ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 4.8.2020 की कियान्विति अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। न्यायालय का यह मानना है कि विवादित भूमियों की रक्षा की जानी चाहिए। न्यायालय वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आरबीजे (23)2023 पेज 360 शोकत अली बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य में दिए गए न्यायिक दृष्टांत से सहमत हैं, और न्यायालय का यह भी मानना है कि वादपत्र में कार्यवाही के दौरान यह तय हो पाएगा कि रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा अपने पक्ष में बताए गए विक्रय पत्र की क्या स्थिति बनती है। क्या रेस्पोडेंट विवादित भूमि के संपूर्ण हिस्से के खातेदार है यह सब बाते अधीनस्थ न्यायालय में ट्रायल के दौरान तय हो पाएगी।

17. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर न्यायालय हाजा यह निर्देश देती है कि अधीनस्थ न्यायालय अगले एक माह में दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करे एवं निर्णय होने तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाए।

26/02/24

अधीनस्थ न्यायालय जवाब प्राप्त कर बहस सुनकर निर्णय प्रदान करें। दोनों पक्षों के अभिभाषकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 17.11.23 को आवश्यक रूप से देवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

26.10.2023
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

18. निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

26.10.2023
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner